P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/प्रधानाचार्य/2017 दिनांक 09.08.2017 द्वारा श्री प्रमोद मिश्रा, प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण राउमावि--टावरीवाला जिला जैसलमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1719/2017 प्रमोद मिश्रा बनाम सरकार दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन पेश किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी अनुपालना में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2018 को खारिज किया गया।

श्री प्रमोद मिश्रा द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 09.08.2017 एवं 19.01.2018 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एक अन्य याचिका एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2799/2018 दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2018 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी अस्वस्थता और उसके उपचार के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार एवं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned speaking order) पारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी श्री प्रमोद मिश्रा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 03.10.2018 में स्वयं के हृदय रोग से पीड़ित होने के कारण निरन्तर चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता रहने एवं अपने पदस्थापन स्थान के दुर्गम होने के कारण उपचार में होने वाली परेशानियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन जयपुर अथवा चूरू जिले में किसी निकटस्थ स्थान पर प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने का निवेदन किया गया।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से परीक्षण किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी की अस्वस्थता के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना समीचीन है कि चिकित्सकीय सुविधाऐं राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उपलब्ध रहती है। साथ ही याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष (जोब चार्ट के अनुसार) राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी अनुरूप याचिकार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी श्री प्रमोद मिश्रा, प्रधानाचार्य राउमावि–टावरीवाला जिला जैसलमेर का अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एस.बी.सिविल/2799/प्रमोद मिश्रा/2018 दिनांक 18.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, जैसलमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

P001